

टियर I पूंजी में बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) को शामिल करने के लिए मानदंड

बैंकों द्वारा बांड या डिबेंचर के रूप में जारी किए जा सकने वाले बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टियर I पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों को पूरा करेंगे:

1. भारतीय रुपये में मूल्यवर्ग के बेमियादी ऋण लिखत जारी करने की शर्तें

(i) राशि

जुटाई जाने वाली पीडीआई की राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जाएगी।

(ii) सीमाएं

किसी बैंक द्वारा पीडीआई (मौजूदा नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतों या आईपीडीआई सहित) के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि कुल टियर I पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र राशि की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को टियर I पूंजी की राशि के संदर्भ में, गुडविल, डीटीए और अन्य अमूर्त संपत्ति की कटौती के बाद लेकिन निवेश की कटौती से पहले की जाएगी। उक्त सीमाओं से अधिक पीडीआई टियर I पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन, टियर I के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र होगा। हालांकि, निवेशकों के अधिकार और दायित्व अपरिवर्तित रहेंगे।

(iii) परिपक्वता अवधि

पीडीआई बेमियादी होगा।

(iv) ब्याज दर

निवेशकों को देय ब्याज या तो एक निश्चित दर पर या बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में फ्लोटिंग दर पर हो सकता है।

(v) विकल्प

पीडीआई को 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप-अप ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, बैंक निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक के कड़ाई से अनुपालन के अधीन, क्रय विकल्प के साथ लिखत जारी कर सकते हैं:

(ए) लिखत के कम से कम दस वर्षों तक चलने के बाद लिखत पर क्रय विकल्प की अनुमति है; तथा

(बी) क्रय विकल्प का प्रयोग केवल आरबीआई (विनियमन विभाग) के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। क्रय विकल्प का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, आरबीआई अन्य बातों के अलावा, क्रय विकल्प के प्रयोग के समय और क्रय विकल्प के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

(vi) लॉक-इन क्लॉज

(ए) पीडीआई लॉक-इन क्लॉज के अधीन होगा, जिसके अनुसार जारीकर्ता बैंक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि

- i) बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से कम है; या
- ii) इस तरह के भुगतान का प्रभाव बैंक के सीआरएआर में पड़ता है और परिणामस्वरूप आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से नीचे या शेष रहता है;

(बी) हालांकि, बैंक आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से ब्याज का भुगतान कर सकते हैं, जब इस तरह के भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप निवल हानि हो सकती है या निवल हानि बढ़ सकती है, बशर्ते सीआरएआर विनियामकीय मानदंड से ऊपर रहे।

(सी) ब्याज संचयी नहीं होगा।

(डी) लॉक-इन क्लॉज के आह्वान के सभी उदाहरणों को जारी करने वाले बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के विनियमन विभाग और पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य

महाप्रबंधक को सूचित किया जाएगा।

(vii) दावे की वरिष्ठता

आईपीडीआई³ और पीडीआई में निवेशकों के दावे इस प्रकार होंगे:

- ए) इक्विटी शेयरों और टियर 1 अधिमान शेयरों में निवेशकों के दावों से बेहतर; तथा
- बी) अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन।

(viii) छूट

पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए पीडीआई को प्रगतिशील छूट के अधीन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये स्थायी हैं।

³ किसी भी बकाया नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतों को संदर्भित करता है (आईपीडीआई)

(ix) अन्य शर्तें

(ए) पीडीआई पूरी तरह से चुकता, असुरक्षित और प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होगा
बी) भारतीय रुपये में जुटाए गए पीडीआई में एफआईआई द्वारा निवेश रुपये में मूल्यवर्गित कॉर्पोरेट ऋण के लिए ईसीबी सीमा से बाहर होगा, जैसा कि कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एफआईआई द्वारा निवेश के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। एफआईआई और एनआरआई द्वारा इन लिखतों में निवेश क्रमशः 49 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा, बशर्ते कि प्रत्येक एफआईआई द्वारा निवेश इश्यू के 10 प्रतिशत से अधिक न हो और प्रत्येक एनआरआई द्वारा निवेश इश्यू के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।

सी) सेबी/ अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों द्वारा लिखतों को जारी करने के संबंध में बैंक निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हों, का पालन करेंगे।

2. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित पीडीआई जारी करने की शर्तें

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना विदेशी मुद्रा में पीडीआई जारी करके अपनी पूंजी निधि में वृद्धि कर सकते हैं, बशर्ते कि निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाए:

- i) विदेशी मुद्रा में जारी किया गया पीडीआई भारतीय रुपये में जारी किए गए लिखतों पर लागू सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा।
- ii) पात्र राशि का 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी मुद्रा में जारी नहीं किया जा सकता है।
- iii) विदेशी मुद्रा में जारी किया गया पीडीआई नीचे दर्शाए गए विदेशी मुद्रा उधार की सीमा से बाहर होगा:

ए) विदेशी मुद्रा में जारी किए गए उच्च टियर II लिखतों की कुल राशि अप्रभावित टियर I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पात्र राशि की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को टियर I पूंजी की राशि के संदर्भ में, गुडविल और अन्य अमूर्त आस्ति की कटौती के बाद, लेकिन निवेश की कटौती से पहले, मास्टर निदेश के पैरा 13 (ii) (ए) के अनुसार की जाएगी।

बी) यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार लेने की मौजूदा सीमा के अतिरिक्त होगा।

3. रिज़र्व आवश्यकताओं का अनुपालन

पीडीआई के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और समय देनदारियों की गणना के लिए देयता के रूप में नहीं माना जाएगा और इस तरह, सीआरआर/ एसएलआर आवश्यकताओं को आकर्षित नहीं करेगा।

4. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

पीडीआई जारी करने वाले बैंक मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ऊपर दिए गए पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट निर्गम की शर्तों सहित उठाए गए ऋण का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति के साथ इश्यू पूरा होने के बाद जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।

5. अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी पीडीआई में निवेश

- i) अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी पीडीआई में एक बैंक के निवेश की गणना इन निदेशों के पैरा 14 में निर्धारित 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करते समय पूंजी स्थिति के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ की जाएगी।
- ii) अन्य बैंकों द्वारा जारी पीडीआई में बैंक के निवेश पर इन निदेशों के पैरा 14(iv) में निर्धारित अनुसार पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए जोखिम भार होगा।

6. पीडीआई के एवज में अग्रिमों का अनुदान

बैंक अपने द्वारा जारी पीडीआई की जमानत पर अग्रिम नहीं देंगे।

7. तुलन- पत्र में वर्गीकरण

बैंक पीडीआई जारी करके जुटाई गई राशि को अनुसूची 4 - "उधार" के तहत तुलनपत्र में इंगित करेंगे।